प्रादेशिक समाचार

दिनांक–10.06.2024 (दोपहर–1455 बजे)

तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद भार संभालते ही आज नरेन्द्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। ये किस्त नौ करोड 30 लाख किसानों को लगभग बीस हजार करोड रुपये का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।

****

राज्य के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन कल राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दिन के ग्यारह बजे से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री वारंट की तामील और अपराध के साथ–साथ अबुआ आवास योजना, सर्टिफिकेट केस, भूमि सुधार और राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की बारी–बारी से समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के अलावा जिलों के डीसी और एसपी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दूसरे दिन यानी 12 जून को फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय सचिवों के अलावा जिलों के डीसी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

****

राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह आज रांची में विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में विधि व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। आचार संहिता हटने के बाद पहली बार सभी जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ बैठक आयोजित की गयी है। सभी जिलों के एसपी एजेंडा बिंदुओं के संदर्भ में पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हुए हैं।

****

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े मनी लाउंडरिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।

****

गांडेय की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन आज शपथ ग्रहण करेंगी। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में शाम पांच बजे विधायक पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ कई अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे।

****

रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने 18 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि जयराम महतो के खिलाफ पुलिस ने रांची के नगड़ी थाने में दर्ज कांड में वारंट लिया था। पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी लेकिन जनसभा का हवाला देकर वे फरार हो गए थे।

****

गढ़वा जिले में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गयी है।

****

झारखंड के सभी बालू घाटों से आज से बालू निकासी पर रोक रहेगी। एनजीटी के आदेश से मॉनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी। किसी भी घाट से बालू की निकासी करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इधर झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का दावा है कि इस दौरान बालू की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। स्टॉकिस्टों के माध्यम से या जेएसएमडीसी की साइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराने से ही बालू मिल सकेगा।

****

रांची पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर विजय बक्शी सहित पांच उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। सभी पीएलएफआई से जुड़े है और इन दिनों संगठन को मजबूत करने के इरादे से जमीन कारोबारियों से रंगदारी की मांग कर रहे थे। इसकी पुष्टि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने की है।

*********समाप्त*********